

प्रेषक,

राकेश प्रताप सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबंधक,  
सहकारिता, उ०प्र०,  
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ :: दिनांक :: 21 अप्रैल, 2017,

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-18 के अधीन विभिन्न लेखा/  
उपलेखाशीर्षकों, मानक मदों में विधान मण्डल द्वारा प्राविधानित धनराशियों  
के लेखानुदान के माध्यम से प्रथम पाँच माहों के व्यय की स्वीकृति के  
सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-01/लेखा-अ/2017-18, दिनांक 06  
अप्रैल, 2017 के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप  
संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं  
संख्या 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 के के  
अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये  
अनुदान संख्या-18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के लेखाशीर्षक-2425-  
सहकारिता के अधीन प्राविधानित धनराशि रू० 15052.68/- लाख रू० (रू० एक अरब  
पचास करोड़ बावन लाख अड़सठ हजार मात्र) तथा भारित मद में रू० 3.00 लाख /-  
(रू० तीन लाख मात्र) में से लेखानुदान के सापेक्ष पाँच माह के लिये वित्तीय स्वीकृति  
मतदेय पक्ष हेतु रू० 5954.43 लाख (उनसठ करोड़ चौवन लाख तिरालिस हजार मात्र)  
तथा भारित मद में 1,25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार मात्र) को श्री राज्यपाल  
महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर  
रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये  
स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति के बिना  
उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन  
(एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिन मामलों  
में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के  
स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी  
की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने की पूर्व  
स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियां यथा सम्भव एक बार  
में ही जारी की जाये, परन्तु स्वीकृत धनराशि के एकमुश्त आहरण की यथासंभव  
अनुमति न दी जाये।

(4) कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2016; दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा संख्या 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा दिनांक 20 मार्च, 2017 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी, (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दे।

(6) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक "2425-सहकारिता के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2016, दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा संख्या 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- यथोपरि।


भवदीय,

(राकेश प्रताप सिंह)  
उप सचिव।

संख्या-443/49-3-2017-100(8)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ०प्र० लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- सहकारिता अनुभाग-1.
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(राकेश प्रताप सिंह)  
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-443/49-3-2017-100(8)/2017, दिनांक :: अप्रैल, 2016 का संलग्नक लेखा शीर्षक	आय-व्ययक प्राविधान 2017-18	(धनराशि लाख रु० में) 05 माहों के लेखानुदान के लिये स्वीकृत हेतु धनराशि 2017-18
1	2	3

**2425-सहकारिता**

001-निदेशन तथा प्रशासन

**03-सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण**


01-वेतन	11159.89	4649.95
02-मजदूरी	5.15	2.15
03-मंहगाई भत्ता	557.99	232.50
04- यात्रा व्यय	15.00	1500
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	7.00	2.92
06- अन्य भत्ते	506.98	211.24
08- कार्याव्यय व्यय	10.00	4.17
09- विद्युत देय	16.00	6.67
10-जलकर/जल प्रभार	0.20	0.08
11- लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	5.50	2.29
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	0.42
13- टेलीफोन पर व्यय	9.00	3.75
14- मोटर गाड़ियों का कय	00	00
15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	5.00	2.08
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	3.00	1.25
17- किराया-उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	100.00	41.67
18- प्रकाशन	1.50	0.63
29- अनुरक्षण	1.00	0.42
42- अन्य व्यय	मतदेय	0.00
	भारित :	1.25
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	0.42
45- अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.21
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय	1.50	0.63
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धित स्टेशनरी का कय	1.50	0.63
49- चिकित्सा व्यय	150.00	62.50
51- वर्दी व्यय	2.00	0.83
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	673.06	0.00
	<b>योग-03 मतदेय :</b>	<b>13233.77</b>
	<b>भारित :</b>	<b>3.00</b>
		<b>5233.63</b>
		<b>1.25</b>

**05- विशेष अनुसंधान शाखा का गठन-**

01-वेतन	1367.78	569.91
03-मंहगाई भत्ता	68.39	28.50
04- यात्रा व्यय	15.00	6.25
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	7.00	2.92
06- अन्य भत्ते	62.00	25.83
08- कार्याव्यय व्यय	1.50	0.63
09- विद्युत देय	2.50	1.04
10-जलकर/जल प्रभार	0.10	0.42
11- लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	1.00	0.42

*Smc*

12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	0.63
13- टेलीफोन पर व्यय	3.00	1.25
14- मोटर गाड़ियों का क्य	0.00	0.00
15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	7.00	2.92
17- किराया-उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	15.00	6.25
23- गुप्त सेवा व्यय	0.60	0.25
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.42
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्य	1.00	0.42
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धित स्टेशनरी का क्य	1.25	0.42
49- चिकित्सा व्यय	20.00	8.33
51- वर्दी व्यय	0.20	0.08
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	82.49	0.00
<b>योग-05</b>	<b>1658.31</b>	<b>656.59</b>
<b>06- उ०प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल</b>		
01-वेतन	107.94	44.98
03-मंहगाई भत्ता	5.40	2.25
04- यात्रा व्यय	0.20	0.08
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.05	0.02
06- अन्य भत्ते	4.88	2.03
08- कार्यालय व्यय	0.55	0.23
09- विद्युत देय	1.50	0.63
10-जलकर/जल प्रभार	1.50	0.63
11- लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0.12	0.05
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.21
13- टेलीफोन पर व्यय	0.75	0.31
14- मोटर गाड़ियों का क्य	00	00
15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	1.50	0.63
17- किराया-उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	26.00	10.83
45- अवकाश यात्रा व्यय	0.25	0.10
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्य	0.50	0.21
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धित स्टेशनरी का क्य	0.40	0.17
49- चिकित्सा व्यय	2.00	2.00
51- वर्दी व्यय	0.05	0.02
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	6.51	0.00
<b>योग-06</b>	<b>160.00</b>	<b>64.20</b>
<b>योग-2425-001-मतदेय</b>	<b>15052.68</b>	<b>5954.43</b>
<b>रातस्व- मतदेय</b>	<b>15052.68</b>	<b>5954.43</b>
<b>भारित</b>	<b>3.00</b>	<b>1.25</b>

  
 (राकेश प्रताप सिंह)  
 उप सचिव।